

अधि.अभि.वि.वि. खण्ड-प्रतापगढ़

प्रक्रमण धनराशि जमा रसीद संख्या

सम्बन्धित विद्युत उपसंस्थान का नाम

दिनांक

सम्बन्धित उपखण्ड का नाम

आवेदक की साइट की जांच की.....अश्वशक्ति
की मीटर पानी उठाने में सक्षम है तथा आवेदन के खिलाफ कोई चैकिंग/
विजिलेंस की कार्य नहीं हुई है।

ह० अवर अभियन्ता

कोषाध्यक्ष,

उपभोक्ता के आग्रह पर सशर्त प्रार्थना पत्र स्वीकार
कि विभाग में सामान उपलब्ध होने पर ही कार्यवाही होगी।
कृपया 200/- रु. प्रक्रमण धनराशि जमा करें।

अधि.अभियन्ता



निजी नलकूप विधा के लिए
.....अश्वशक्ति
प्रभार स्वीकृत किया जाता है।

सहा.अभि.(रा.)/अधि.अभि.

केवल नलकूपों के निमित्त विद्युत कनेक्शन के लिए

आवेदन-पत्र

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड प्रथम/द्वितीय प्रतापगढ़

- 1- प्रार्थी का नाम और पता
पिता/पति का नाम.....
ग्राम..... पोस्ट.....
ब्लाक..... तहसील..... जिला धारा.....
ग्राम..... अश्वशक्ति
- 2- बिजली की शक्ति की मात्रा जिसके आवेदन पत्र दिया जा रहा है। साइट जहाँ कनेक्शन लेना चाहते हैं।
- 3- प्रार्थी का एकड़ों में वह क्षेत्र जिसकी नलकूप से सिंचाई की जायेगी। जमीन के दुल्हड़े का पूरा विवरण, उनका नाम, संख्या स्थिति आदि का पूरा विवरण दिया जाय।
- 4- क्या उस क्षेत्र की सिंचाई किसी दूसरे स्थान पक्के कुएँ आदि से की जा सकती है?
- 5- अब तक उस क्षेत्र की सिंचाई किन साधनों से की जाती थी और अब उनसे आगे काम क्यों नहीं लिया जा सकता।
- 6- क्या वह क्षेत्र अंशतः या पूर्णतः किसी राजकीय नलकूप या नहर द्वारा सींचे जाने वाले क्षेत्र/कमान्ड एरिया के अन्तर्गत आता है।
- 7- क्या नलकूप की बोरिंग की गई और पम्प तथा मोटर लगा दिये हैं।
- 8- प्रार्थी के क्षेत्र तथा निकटतम राजकीय नलकूप आधारा नहर के बीच की दूरी।
- 9- नलकूप के स्थान से बिली के निकटतम खम्भे की दूरी यदि कोई हो
- 10- पाइप का व्यास, चलना (स्ट्रनर) की लम्बाई, बोरिंग (खुदाई) की गहराई, स्रोत की सतह पहले पानी फटने की सतह की गहराई और पानी निकलने का परिणाम प्रत घंट गैलनों में।
- 11- प्रकरण शुल्क जमा करने की रसीद संख्या व दिनांक
- 12- खेत का नम्बर जिसमें प्रार्थी की बोरिंग करवाया।

खण्ड विकास अधिकारी का ब्यारग

में पूर्ण है।

- (अ) प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन का बोरिंग कार्य क्षेत्र नं०..... अतःअवश्य शक्ति प्रभार स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।
- (ब) मेरे द्वारा साइट की जांच करवाई गई। बोरिंग पूर्णतः सफल है अतः विद्युत नलकूप कनेक्शन देने की संस्तुति की जाती है।

खण्ड विकास अधिकारी
की ओर से
दिनांक प्रतापगढ़ 17.08.23

- मैं..... घोषणा करता हूँ कि
- (1) मैं ग्राम ब्लाक तहसील
- (2) मैं/हम अपने नाम निजी नलकूप का कनेक्शन ले रहा हूँ/रहे हैं।
- (3) यह है कि सह खातेदारों ने अपनी सहमति दे दी है यदि कोई वाद-विवाद पाया गया तो उसके लिए मैं/हम स्वयं जिम्मेदार रहेंगे।
- (4) मैं/हम स्वेच्छापूर्वक प्रकमण शुल्क/प्राथमिकता शुल्क जमा करने को तैयार हूँ/हैं।
- (5) जब भी विभाग में सामान उपलब्ध होगा तभी कनेक्शन दिया जायेगा जिसकी मैं प्रतीक्षा करूँगा किसी भी प्रकार की मेरे द्वारा की गई कार्यवाही अवैध होगी।
- (6) मेरा/हमारा स्वयं का शपथ पत्र संलग्न है।
- (7) यह खातेदारों का शपथ पत्र संलग्न है।
- (8) फोटो प्रमाणित है।
- (9) खसरा, खतौनी संलग्न है।
- (10) विद्युत का पूर्व का ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है जिस पर बिल बकाया हो या कोई विलीलेंस आदि की कार्यवाही चल रही हो अथवा स्थाई विच्छेदन कार्यवाही लम्बित हो।
- (11) प्रार्थना पत्र सशर्त स्वयं के आग्रह पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। समय-समय पर विभाग के जारी योजना आदेश प्रभावी होंगे, नियम एवं शर्तें जारी होने के बाद एक माह में अनुबन्ध न करने पर प्रार्थना पत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।
- (12) मैं पूर्ण जमा योजना में कनेक्शन लेना चाहता हूँ।

प्रमाणित करता हूँ कि आवेदन ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर.....

आवेदन का नाम 11.5.19.23

(प्रधान/ब्लाक प्रमुख/बी.डी.ओ. या अन्य किसी अधिकारी के हस्ताक्षर)

पिता का नाम 3.4.19.23

नाम.....

पता.....

पता..... 11.5.19.23

कराण मुराट सिंह

मुहर

(2)

मैं एतद् द्वारा आगेतार अनुबन्ध करता हूँ कि मैं निम्नलिखित अपानुबन्धों (स्वीगुलेशन्स) का पालन करूँगा।

(1) रॉबिंस कनेक्शन एवं अन्य निर्धारित खर्च आदि की भवराशि जमा करता हूँ।

(2) अन्य सौखिन्त औपचारिकताएँ पूरी करूँगा।

(3)

मैं हम वचनबद्ध होता हूँ/वचनबद्ध होती हूँ कि रागम विशेष पर प्रचलित किसी विधि को अभीन इस वचनपत्र को निष्पादन के निमित्त आगेक्षित रदाम्यों द्वारा रजिस्ट्रीकरण शुल्क यदि कोई हो को भुगतान करूँगा/करेंगी।

टिप्पणी-मैंने संभरण की दरी, शर्तों, तथा प्रतिबन्धों को पुरांगत रूप से प्राप्त कर लिया गया है।

उपभोक्ता के साक्षी का नाम तथा पता

गवाह (1) हस्ताक्षर

Ashok

नाम.....

पिता का नाम.....

ग्राम.....

डा०.....

जनपद-प्रतापगढ़

उपभोक्ता की हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

पिता का नाम.....

ग्राम.....

डा०.....

शाना.....

गवाह (2) हस्ताक्षर

नाम.....

पिता का नाम.....

ग्राम.....

डा०.....

जनपद-प्रतापगढ़

हस्ताक्षर.....

जनपद-प्रतापगढ़

जाति.....

जाति.....

उप.....

केवल कार्यालय के उपयोग के लिए

1. प्रतिभूति/धनराशि का विवरण

(1) रसीद संख्या

(2) दिनांक.....

(3) धनराशि

(क) अंकों में

(ख) शब्दों में

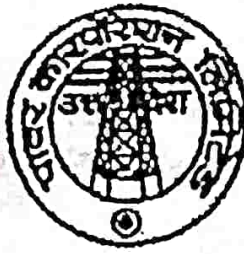
2. संभरण प्रारम्भ होने का दिनांक

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

उपखण्ड लिपिक/अनुबन्धक लिपिक

उपखण्ड अधिकारी/अधिशायी अभियन्ता



विद्युत वितरण खण्ड प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत शक्ति के लघु और मध्यम उपभोक्ताओं/निजी नलकूपों के लिए

अनुबन्ध पत्र/वचन पत्र

(सौ रुपये के स्टाम्प वाले कागज पर चिपकाया जायेगा)

1. मैं/हम एतद् द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत कारपोरेशन (जिसे एतद् पश्चात् 'प्रदायक' (सप्लायर) कहा गया है) से निम्नलिखित-भू-गृहादि पर अपने संस्थापन (इन्स्टालेशन) की प्रक्रिया/प्रक्रिया के लिए संभरण का प्रारंभ होने के दिनांक से दो वर्ष की अन्यून अवधि के निमित्त.....अश्वशक्ति के अनाधिक विद्युत शक्ति लेने के लिए सहमत हूँ/हैं/ उपर्युक्त दो वर्षों की अन्यून अवधि समाप्त होने के पश्चात् ऐसा वचन वर्षानुवर्ष, यहां निहित शर्तों के आधार पर तक जारी रखा गया समझा जायेगा, जब तक दोनों ओर से किसी ओर से कम से कम 30 दिन के पूर्व लिखित सूचना देकर उसकी समाप्त न कर दिया गया हो।
2. मैं/ हम एतद् द्वारा समय प्रचलित अथवा प्रदायक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित उपर्युक्त संभरण के लिए कारपोरेशन द्वारा नियत दरों से अनुबन्धित अन्य परिव्ययों का भी भुगतान करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
3. मैं/एतद् द्वारा प्रदायक के पास आवश्यक प्रतिभूति-धनराशि (सिक्योरिटी एमाउन्ट) जमा करने के लिए सहमत हूँ/हैं और कोई भी अग्रेतर प्रतिभूति, जब कभी प्रदायक द्वारा मांगी जायेगी, जमा करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
4. मेरे हमारे, सम्बन्ध में प्रवृत्त टैरिफ के अनुसार यथानुबन्ध न्यूनतम प्रत्याभूमि (गारण्टी) परिचय (चार्ज) में जो भी कमी आदि होगी, वह वास्तविक उपभोग की कटौती करने के उपरांत जिसमें से वह छूट या सरचार्ज निकाल दिया जायेगा, जब बिल के देरी से/भुगतान के कारण, अदेय हो, भुगतान की जायेगी।
5. मैं/हम, प्रदायक के स्टोर से कनेक्शन के स्थल तक स्वकीय अपनी लागत पर माल समान को ले जाने के लिये वचनबद्ध होता हूँ होते हैं/वचनबद्ध नहीं होता हूँ/वचन बद्ध नहीं होते हैं।
6. मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस समय प्रवृत्त सम्भरण की दरों और शर्तों को मैंने/हमने पढ़ लिया है। हम, एतद् द्वारा अग्रेतर अनुबन्ध करता हूँ/करते हैं कि इस समय प्रवृत्त सम्भरण की शर्तों को पालन करूंगा/करेंगे तथा उसमें होने वाले पश्चात् वर्ती परिष्कारों अथवा परिवर्तनों का भी पालन करूंगा/करेंगे तथा प्रवृत्त अथवा समय-समय पर यथा संशोधित इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाय) ऐक्ट 1948 तदन्तर्गत निमित्त नियमावली तथा इण्डियन इलेक्ट्रिकसिटी ऐक्ट 1910 तथा इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, 1956 आबद्ध हूंगा/होंगे।
7. मैं/हम अपनी लागत पर खम्भों (पोल्स) के संस्थापन (इन्स्टालेशन) के लिए आपेक्षित सीमेन्ट की व्यवस्था करने के लिये वचनबद्ध होते हैं। वचनबद्ध नहीं होता हूँ/वचनबद्ध नहीं होते हैं।